# RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

पत्रांक......................  दिनांक........................

सेवा में,

निदेशक (उच्चशिक्षा)
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय– संत जेवियर्स कॉलेज, राँची को बी0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी नव संबंधन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि NCTE विनियम – 2014 एवं NCTE के अनुसार दिनांक 31.10.2015 तक सभी शर्त्तो को पूरा करने संबंधी शपथ / वचन पत्र देने के आलोक में संत जेवियर्स कॉलेज, राँची के अस्थायी नव संबंधन हेतु प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में सम्बन्धन एवं नव पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 12.3.2015 एवं 13.3.2015 को संपन्न बैठक में उक्त संस्थान को दो वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2015–2017 के लिए सर्शत अस्थायी नवसंबंधन हेतु अनुशंसा की गई है। अभिषद् की संपन्न आपात् बैठक, दिनांक 16.3.2015 को संकल्प संख्या 787/15 द्वारा संबंधन एवं नव पाठ्यक्रम समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया है। इसकी घटनोतर स्वीकृति अधिषद से प्राप्त कर ली जायेगी।

तद्नुसार उक्त संस्थान के अस्थायी नव संबंधन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति, सम्बन्धन एवं नव पाठ्यक्रम समिति की बैठक के कार्यवृत की छाया प्रति, अभिषद के बैठक की कार्यवृत की छाया प्रति, सम्बन्धन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अतः आप से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य वि0 वि0 अधिनियम 2000 की धारा 4 (19) के तहत् संत जेवियर्स कॉलेज, राँची को उपर्युक्त वर्णित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2015–2017 के लिए अस्थायी नव संबंधन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथाउपरोक्त।

विश्वासभाजन
ह/–
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची
दिनांक 16/3/15

ज्ञापांक GE–4998–4999
प्रतिलिपिः–1.सचिव, संत जेवियर्स कॉलेज, राँची को सूचनार्थ।

16/3/15
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय,राँची

Receipt No SXC/171/2015
Date 19-3-15
Signature